FORM No. III

APP-A

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बूंदी

[illegible] बनाम राज सिंगार

किस्म मुकदमा 161/22 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-6-22	वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन रजि. A D जारी हो। पत्रावली दिनांक 24-6-22 को पेश हो।	

दिया हैं। माननीय न्यायालय से प्रार्थना हैं कि उक्त राजीनामा तस्दीक फरमाकर उक्त राजीनामा के आधार पर डिक्री सादिर फरमाई जावें।

आदेश

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा एवं राजीनामा पर उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 वाके ग्राम रामनगर खाता सं. नया 300 पुराना 262 अनुसार भूमि खसरा संख्या 347 रकबा 0.6767 के खातेदार नेनबाई पत्नी भंवर लाल हिस्सा– 15/88 जाति– कंजर, रूकमणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा–73/88 जाति–कंजर एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 299 नया एवं पुराना 261 अनुसार भूमि खसरा संख्या 1175/349 रकबा 0.4076 के खातेदार नेनबाई पत्नी भंवरलाल हिस्सा–27/53 जाति–कंजर, रूकमणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा–26/53 जाति– कंजर एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 122 नया एवं पुराना 109 अनुसार भूमि खसरा संख्या 152 रकबा 0.3537 व खसरा संख्या 153 रकबा 0.8844 के खातेदार रूकमणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा–पूर्ण जाति–कंजर, एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 301 नया एवं पुराना 263 अनुसार भूमि खसरा संख्या 1176/349 रकबा 0.2076 व खसरा संख्या 346 रकबा 0.6613 के खातेदार रूकमणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा–पूर्ण जाति–कंजर, पक्षकारो की और से जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर है कि पक्षकारों के मध्य रूपये पैसे का लेन–देन था तथा प्रस्तुत राजीनामा में भी उन्हीं शर्तो के अध्यधीन राजीनामा किया गया है इस प्रकार के राजीनामा के आधार पर जिस तरह का अनुतोष पक्षकार चाहते है। वह तो दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। किन्तु फिर भी पक्षकारों के मध्य फर्दर लिटिगेशन नहीं हो तथा लोक अदालत की भावना अनुसार पक्षकारों के मध्य सोहार्द कायम रहे, इस तथ्य को मध्यनजर उभय पक्षकारों को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोहन लाल, आई०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी